मुख्यालय, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

29/20, नेमी रोड, डालनवाला, देहरादून (उत्तराखण्ड)
Phone : 0135-2658086, Fax : 0135-2718092 Web : www.ueppcb.uk.gov.in

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये सूचना

सुरकण्डा देवी रोपवे प्रोजेक्ट कम्पनी प्रा0 लिमिटेड टिहरी गढ़वाल के द्वारा जंनपद–टिहरी गढ़वाल क्षेत्रान्तर्गत स्थित सुरकण्डा देवी रोपवे हेतु पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, लोक सुनवाई हेतु 'पैनल' की संरचना पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण अधिसूचना–2006 के अनुरूप निम्नवत है :–

1. जिलाधिकारी, जनपद, टिहरी गढ़वाल या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो अपर जिलाधिकारी स्तर से कम पद का न हो, लोक सुनवाई के अध्यक्ष।
2. उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि।

उपरोक्त परियोजना से सम्बन्धित जमा समस्त अभिलेख क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय–देहरादून; मुख्यालय, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ई–115 नेहरू कालोनी, देहरादून; कार्यालय जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल; कार्यालय जिला पंचायत, टिहरी गढ़वाल; जिला उद्योग केन्द्र, टिहरी गढ़वाल अपर जिलाधिकारी, कार्यालय तहसील धनोल्टी एवं कार्यालय पालिका परिषद टिहरी गढ़वाल में उपलब्ध है जिनका कोई भी इच्छुक संस्था/व्यक्ति अवलोकन कर सकता है। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट के सारांश की प्रति www.ueppcb.uk.gov.in पर भी उपलब्ध है। पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्तावित लोक सुनवाई की तिथि, समय व स्थान अपर जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल के द्वारा निम्नानुसार सुनिश्चित् की गयी है :–

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	लोक सुनवाई हेतु प्रस्तावित स्थल	प्रस्तावित लोक सुनवाई की तिथि	समय
1	सुरकण्डा देवी रोपवे प्रोजेक्ट	जी.एम.वी.एन. कद्दूखाल तहसील धनोल्टी टिहरी गढ़वाल	17.04.2015	प्रातः 11.30 बजे से

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने मौखिक, लिखित, सुझाव, टीका टिप्पणियों एवं आपत्तियां इस कार्यालय अथवा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, यू.ई.पी.पी.सी.बी., ई–115, नेहरू कालोनी, देहरादून में इस सूचना से सम्बन्धित विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर प्रेषित कर सकते हैं अथवा लोक सुनवाई के समय भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

सदस्य सचिव

दिनांक : 16.03.2015